

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुरादाबाद।

(एल-25, रामगंगा विहार, फेस-प्रथम, सोनकपुर स्टेडियम, कॉट रोड, मुरादाबाद-दूरभाष सं०-0591-2450066)

पत्रांक 1619/14-1 दिनांक, मुरादाबाद, जनवरी, 3, 2018.

सेवा में,

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

विषय:- ग्राम मुस्तफाबाद रामपुर रोड तहसील व जिला मुरादाबाद के खसरा सं०-196/03 में प्रोपोस्ड रिटेल आउटलेट सी.एन.जी. स्थापित किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- मुख्य वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ का पत्रांक-1674/मुरादाबाद/23468/2017, दिनांक 22-12-2017.
महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकरण करने का कष्ट करें। उक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से मुख्य वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में कतिपय बिन्दु सं०-1 से 5 तक आपत्तियों की गयी हैं, जिनका निस्तारण मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक-2501/11सी, दिनांक 24-5-2016 के क्रम में निम्नवत् निर्धारित प्रपत्र में बिन्दुवार अनुपालन आख्या संशोधित प्रस्ताव की तीन प्रतियों सहित अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। कृपया अपने स्तर से अग्रिम कार्यवाही कर प्रस्ताव उच्च स्तर को प्रेषित करना चाहें-

Observ No.	Observation of Nodal	Reply
1	आनलाईन पार्ट-1 के बिन्दु -ए-3(XVII) पर अपलोड प्राधिकार पत्र में दिनांक अंकित नहीं है। उक्त के स्थान पर प्रस्ताव के पृष्ठ-25 पर संलग्न मूल अभिलेख को अपलोड कराने का कष्ट करें।	ऑनलाईन पार्ट-1 के बिन्दु -ए-3(XVII) पर अपलोड प्राधिकार पत्र में दिनांक अंकित अपलोड कर प्रस्ताव के पेज सं०-5 पर चरपा कर दिया गया है।
2	सन्दर्भित पत्र के बिन्दु -2 बी के क्रम में पार्ट-1 पर अपलोड की गयी के०एम०एल० फाईल व डिजिटल मैप की आकृति आपस में मेल नहीं खाते हैं।	सन्दर्भित पत्र के बिन्दु -2 बी के क्रम में पार्ट-1 पर अपलोड की गयी के०एम०एल० फाईल संशोधित कर गयी है।
3	सन्दर्भित पत्र के बिन्दु -2 सी के क्रम में पार्ट-1 पर संशोधित के०एम०एल० फाईल अपलोड नहीं की गयी है। कृपया अपलोड कराने का कष्ट करें।	बिन्दु -2 सी के क्रम में पार्ट-1 पर संशोधित के०एम०एल० आनलाईन अपलोड कर प्रस्ताव के पेज सं०-6 पर चरपा कर दी गयी है।
4	सन्दर्भित पत्र के बिन्दु -5 के क्रम में प्रस्ताव के साथ भारत सरकार के निर्देशानुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण का 10 वर्षों के अनुसूचन सहित विस्तृत प्राक्कलन संलग्न नहीं किया गया है। न ही आनलाईन अपलोड किया गया है।	बिन्दु -5 के क्रम में प्रस्ताव के साथ भारत सरकार के निर्देशानुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण का 10 वर्षों के अनुसूचन सहित विस्तृत प्राक्कलन संलग्न ऑन लाईन पार्ट-2 में अपलोड कर प्रस्ताव के पेज सं०-30 चरपा है।
5	आनलाईन पार्ट-2 के ADDITIONAL INFORMATION DETAILS के बिन्दु सं०-1 पर शासन द्वारा भाग-5 पर की संस्तुति को न अपलोड कर अन्य पत्र अपलोड किया गया है, जो त्रुटिपूर्ण है।	आनलाईन पार्ट-2 के ADDITIONAL INFORMATION DETAILS के बिन्दु सं०-1 पर शासन द्वारा भाग-5 पर की संस्तुति को ऑनलाईन पार्ट-2 में अपलोड कर दी गयी है।

संलग्नक-प्रस्ताव की 3 प्रतियाँ मूल में।

भवदीय,

16
(कन्हैया पटेल)

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मुरादाबाद।

पत्रांक / दिनांकित।

प्रतिलिपि श्री सतीश चन्द्र वर्मा, उप महा प्रबन्धक, सिटी एनर्जी लि०, सी०एन०जी० स्टेशन, ग्राम धनुपुरा, 14 कि०मी० माईल स्टोन, एन०एच०-24, मुरादाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मुरादाबाद।